रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-19112025-267815
CG-RJ-E-19112025-267815

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5108] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2025/कार्तिक 28, 1947
No. 5108] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025/KARTIKA 28, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर-पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 18 नवम्बर, 2025

का.आ. 5279(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, उक्त भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है. **गुजरात राज्य के वाव-थराद जिले में लुणी- समदड़ी-भीलड़ी रेलवे लाईन के दोहरीकरण परियोजना (विशेष रेल परियोजना)** के निष्पादन, अनुक्षण, प्रबन्धन और परिचालन के लिए अपेक्षित है. ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1)के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपखण्ड मजिस्ट्रेट/प्रांत अधिकारी-दियोदर, जिला - **वाव-थराद**, गुजरात को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा :

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखाकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

लूणी-समदड़ी-भीलड़ी दोहरीकरण विशेष रेल परियोजना हेतु वाव-थराद जिले के लाखणी तालुका (दियोदर उप-खण्ड) में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला- वाव-थराद तालुका- लाखणी

संख्या	गाँव	नया खसरा सं	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवाप्त रकबा (वर्ग मी. में)	अवाप्त रकबा (हेक्टेयर में)
1	गोढा	387	निजी	कृषि	956.25	0.0956
2		386	निजी	कृषि	372.40	0.0372
3		388	निजी	कृषि	445.98	0.0446
4		412	निजी	कृषि	302.81	0.0303
5		413	निजी	कृषि	475.11	0.0475
अवाप्त की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल					**2552.55**	**0.2553**

[फा. सं. ऊपरे/मुख्यालय/एस एंड सी/443599200 भाग-21]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 18th November, 2025

S.O. 5279(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) and the Railway Act, 1989 (24 of 1989) hereinafter referred to as the said Act. The central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project of namely: "**Luni-Samdari-Bhildi Doubling Railway Project (Special Rail Project) of the Jodhpur Division in the District Vav-Tharad in the state of Gujarat** hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Magistrate/Prant Officer-Deodar, District - Vav-Tharad, Gujarat in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority, shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) if section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Detail of land to be acquired in Lakhani Taluka (Deodar Sub-Division) of Vav-Tharad District in connection with Luni-Samdhari-Bhildi Doubling Special Railway Project.

District – Vav-Tharad **Taluka- Lakhani**

Sr.No.	Village	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area (In Sqm.)	Area (in Ha.)
1	Godha	387	Private	Agriculture	956.25	0.0956
2		386	Private	Agriculture	372.40	0.0372
3		388	Private	Agriculture	445.98	0.0446
4		412	Private	Agriculture	302.81	0.0303
5		413	Private	Agriculture	475.11	0.0475
Total Area to be Acquired					**2552.55**	**0.2553**

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXI]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Const.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.11.19 22:52:03 +05'30'